अनुदान संख्या 93 - वस्त्र मंत्रालय
GRANT No. 93 – MINISTRY OF TEXTILES

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व :	**Revenue:**					
स्वीकृत -	Voted-					
मूल	Original	5767,48,00		6099,24,00	4878,69,35	-1220,54,65
पूरक	Supplementary	331,76,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1082,07,00
पूंजीगत :	**Capital:**					
स्वीकृत -	Voted-					
मूल	Original	88,27,00		194,45,00	177,63,80	-16,81,20
पूरक	Supplementary	106,18,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					9,50,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹122054.65 लाख) अगस्त, 2011, नवंबर,2011 और मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹33176.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं तथा यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 20 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹122054.65 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹33176.00 lakhs obtained in August, 2011, November, 2011 and March, 2012 and constituted 20 percent of the total sanctioned provision.

Savings /excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय -आर्थिक सेवाएं	Secretariat – Economic Services				
मू.	O.	1602.00	1505.00	1467.56	-37.44
पु.	R.	- 97.00			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	49850.00			
पू.	S.	1.00	10149.00	..	-10149.00
पु.	R.	– 39702.00			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2851" ग्राम तथा लघु उद्योग	Major Head "2851" Village and Small Industries					
मू.	O.	111467.00				
पू.	S.	21002.00		133082.00	131278.11	-1803.89
पु.	R.	613.00				
मुख्य शीर्ष "2852" उद्योग	Major Head "2852" Industries					
मू.	O.	400809.00				
पू.	S.	12172.00		336093.00	334479.95	-1613.05
पु.	R.	-76888.00				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	12910.00				
पू.	S.	1.00		20878.00	20633.73	-244.27
पु.	R.	7967.00				

(I) ₹57670.00 लाख का प्रावधान (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) चालीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹56951.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "ग्राम तथा लघु उद्योग - हथकरघा उद्योग" -

(i) "एकीकृत हथकरघा विकास स्कीम" - ₹3501.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ii) "हथकरघा बुनकर बृहद् कल्याण स्कीम" - ₹3500.00 लाख;

(iii) "विपणन तथा निर्यात संवर्धन स्कीम" - ₹1000.00 लाख;

(I) Provision of ₹57670.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) remained wholly unutilised under forty heads; of these ₹56951.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552"-

(a) "Village and Small Industries- Handloom Industries"-

(i) "Integrated Handloom Development Scheme" - ₹3501.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(ii) "Handloom Weavers Comprehensive Welfare Scheme"- ₹3500.00 lakhs ;

(iii) "Marketing and Export Promotion Scheme"- ₹1000.00 lakhs;

(ख) "ग्राम तथा लघु उद्योग - हस्तशिल्प उद्योग" -

(i) "डिजाइन और तकनीकी उन्नयन" - ₹500.00 लाख;

(ii) "कल्याण और अन्य स्कीमें" - ₹1550.00 लाख;

(iii) "बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प योजना" - ₹1600.00 लाख;

(iv) "विपणन सहायता और सेवाएं" - ₹1600.00 लाख;

(v) "अनुसंधान और विकास" - ₹200.00 लाख;

(vi) "मानव संसाधन विकास" - ₹400.00 लाख;

(ग) "ग्राम तथा लघु उद्योग - रेशम उत्पादन उद्योग" -

(i) "रेशम उद्योग के विकास के लिए अनुदान" - ₹7500.00 लाख;

(ii) "प्रशासनिक व्यय के लिए अनुदान" - ₹1500.00 लाख;

(घ) "उपभोक्ता उद्योग - अन्य - पटसन प्रौद्योगिकी मिशन" - ₹1000.00 लाख;

(ङ) "ग्राम तथा लघु उद्योग - अन्य व्यय - वृहत् समूह का विकास" - ₹3000.00 लाख; और

(च) "उपभोक्ता उद्योग - वस्त्र" -

(i) "राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान" - ₹2000.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त चौदह शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(b) "Village and Small Industries- Handicrafts Industries"-

(i) "Design and Technical Upgradation"- ₹500.00 lakhs;

(ii) "Welfare and Other Schemes"- ₹1550.00 lakhs;

(iii) "Baba Saheb Ambedkar Hastshilp Yojana"- ₹1600.00 lakhs;

(iv) "Marketing Support and Services"- ₹1600.00 lakhs;

(v) "Research and Development"- ₹200.00 lakhs;

(vi) "Human Resource Development"- ₹400.00 lakhs;

(c) "Village and Small Industries- Sericulture Industries"-

(i) Grants towards Development of Silk Industry" - ₹7500.00 lakhs;

(ii) "Grants towards Administrative Expenses" - ₹1500.00 lakhs;

(d) "Consumer Industries- Others – Jute Technology Mission"- ₹1000.00 lakhs;

(e) "Village and Small Industries - Other Expenditure - Development of Mega Clusters" - ₹3000.00 lakhs; and

(f) **"**Consumer Industries- Textiles"-

(i) "National Institute of Fashion Technology"- ₹2000.00 lakhs.

Provisions under the above fourteen heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(ii) ''परिधान पार्क के लिए एकीकृत स्कीम'' - ₹5000.00 लाख;

(iii) ''प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम'' - ₹12000.00 लाख;

(iv) ''विपणन विकास और उत्पाद विविधीकरण स्कीम'' - ₹200.00 लाख;

(v) ''सामान्य अनुपालन संहिता'' -₹200.00 लाख;

(vi) ''मानव संसाधन विकास'' - ₹2500.00 लाख ; और

(vii) ''पटसन सहित तकनीकी वस्त्र'' - ₹1000.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2851'' -

(क) ''अनुसूचित जाति विशेष संघटक उप योजना'' -

(i) ''एकीकृत शिल्पकार वृहत् कल्याण स्कीम'' - ₹800.00 लाख;

(ii) ''एकीकृत बिजली करघा समूह विकास स्कीम'' - ₹300.00 लाख; और

(ख) ''जनजाति क्षेत्र उप योजना - विपणन और निर्यात संवर्धन स्कीम'' - ₹400.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रस्तावों को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने और कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव कम/विलंब से प्राप्त होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष ''2852'' -''उपभोक्ता उद्योग'' -

(क) ''वस्त्र'' -

(i) ''विपणन विकास और उत्पाद विविधिकरण स्कीम'' - ₹700.00 लाख; और

(ii) "Integrated scheme for Apparel Park"- ₹ 5000.00 lakhs;

(iii) "Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS)" - ₹12000.00 lakhs;

(iv) "Market Development and Product Diversification Scheme"- ₹200.00 lakhs;

(v) "Common Compliance Code"- ₹200.00 lakhs;

(vi) "Human Resources Development"- ₹ 2500.00 lakhs; and

(vii) "Technical Textiles including Jute"- ₹1000.00 lakhs.

Provisions under the above six heads remained unutilised due to non-receipt of proposals from North Eastern States and Sikkim.

(B) Major Head "2851"-

(a) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "Integrated Artisans Comprehensive Welfare Scheme"- ₹800.00 lakhs;

(ii) "Integrated Powerloom Cluster Development Scheme" - ₹300.00 lakhs; and

(b) "Tribal Area Sub Plan - Marketing and Export Promotion Scheme"- ₹400.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilized due to delay in finalization of proposals and less/delayed receipt of viable proposals from the implementing agencies.

(C) Major Head – "2852" – "Consumer Industries"-

(a) "Textiles" -

(i) "Market Development and Product Diversification Scheme"- ₹700.00 lakhs; and

(ii) ''विदेशी निवेश संवर्धन स्कीम'' - ₹1000.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने और विभिन्न पणधारियों द्वारा अवसंरचना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ख) ''अनुसूचित जाति विशेष संघटक उप योजना'' -

(i) ''राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान'' - ₹1000.00 लाख प्राप्ति में विलंब की वजह से प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(ii) ''एकीकृत वस्त्र उद्यान स्कीम'' - ₹1000.00 लाख; और

(iii) ''पटसन प्रौद्योगिकी मिशन'' - ₹1000.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत विभिन्न पणधारियों द्वारा अवसंरचना को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(iv) ''पटसन सहित तकनीकी वस्त्र'' - ₹1000.00 लाख व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''उपभोक्ता उद्योग'' के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा :-

(का) ''वस्त्र - प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम'' - ₹295950.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹10330.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹306280.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹29426.94 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने और कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) ''अन्य - पटसन'' - ₹12272.63 लाख के मूल प्रावधान को ₹1841.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹14113.63 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹3866.13 लाख की

(ii) "Foreign Investment Promotion Scheme"- ₹1000.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to non-receipt of viable proposals from the implementing agencies and non-finalization of infrastructure by various stake holders.

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(i) "National Institute of Fashion Technology"- ₹1000.00 lakhs - due to non-finalisation of proposals owing to delay in receipt.

(ii) "Scheme for Integrated Textile Park"- ₹1000.00 lakhs; and

(iii) "Jute Technology Mission" - ₹1000.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to non-finalization of proposals owing to non-finalisation of infrastructure by various stockholders.

(iv) "Technical Textiles including Jute"- ₹1000.00 lakhs - due to non-receipt of viable proposals.

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2852" - "Consumer Industries" - remained wholly unutilised under the following heads as shown against each:-

(A) "Textiles - Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS)"- the original provision of ₹295950.00 lakhs was augmented to ₹306280.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹10330.00 lakhs. However, there was a saving of ₹29426.94 lakhs (including supplementary grant) - due to less receipt of viable proposals from the implementing agencies and receipt of less claims.

(B) "Others - Jute" - the original provision of ₹12272.63 lakhs was augmented to ₹14113.63 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1841.00 lakhs.

बचत (पूरक अनुदान सहित) कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

However, there was a saving of ₹3866.13 lakhs (including supplementary grant) - due to less receipt of viable proposals from the implementing agencies.

(III) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - वस्त्र मंत्रालय" - ₹121.44 लाख की बचत (₹1589.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head- "3451"-"Secretariat-Ministry of Textiles"- saving of ₹121.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1589.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(IV) मुख्य शीर्ष "2851" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "2851"-savings occurred under the following heads:-

(का) "हथकरघा उद्योग" -

(A) "Handloom Industries"-

(क) "हथकरघा विकास" - ₹728.63 लाख की बचत (₹6028.10 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(a) "Handloom Development"- saving of ₹728.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6028.10 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(ख) "संग्रहालय" - ₹122.00 लाख की बचत (₹536.46 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और घरेलू यात्रा के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(b) "Museum"- saving of ₹122.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹536.46 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards domestic travel.

(ग) "हथकरघा बुनकर बृहत्त कल्याण स्कीम" - ₹2678.34 लाख की बचत (₹8600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांग प्राप्त होने और व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(c) "Handloom Weavers Comprehensive Welfare Scheme"- saving of ₹2678.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8600.00 lakhs) was due to receipt of less demand from the implementing agencies and non-receipt of viable proposals.

(घ) "विविधिकृत हथकरघा विकास स्कीम" - ₹121.57 लाख की बचत (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने ओर किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(d) "Diversified Handloom Development Scheme" - saving of ₹121.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less receipt of viable proposals from the implementing agencies and economy measures.

(खा) "हस्तशिल्प उद्योग" -

(B) "Handicrafts Industries"-

(क) "प्रशिक्षण और विस्तार" - ₹357.72 लाख की बचत (₹3725.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(a) "Training and Extension"- saving of ₹ 357.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3725.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(ख) "कल्याण और अन्य स्कीमें" - ₹1133.63 लाख की बचत (₹4966 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और हस्तशिल्प वृह्त स्कीम के अंतर्गत कम भर्ती किए जाने के कारण हुई।

(b) "Welfare and Other Schemes" - saving of ₹1133.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4966.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less enrolment under Handicrafts Comprehensive Scheme.

(गा) "बिलजी करघा उद्योग - समूह वर्कसेड स्कीम" - ₹239.79 लाख की बचत (₹450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(C) "Powerloom Industries - Group Workshed Scheme" - saving of ₹239.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹450.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from the implementing agencies.

(घा) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक उप योजना" -

(D) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(क) "हथकरघा बुनकर बृह्त् कल्याण स्कीम" - ₹1250.00 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(a) "Handloom Weaver Comprehensive Welfare Scheme" - saving of ₹1250.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs); and

(ख) "विपणन और निर्यात संवर्धन स्कीम" - ₹851.31 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(b) "Marketing and Export Promotion Scheme" - saving of ₹851.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षो के अंतर्गत प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to delay in finalization of proposals and non-receipt of viable proposals.

(ग) "बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना स्कीम" - ₹270.28 लाख की बचत (₹750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(c) "Baba Saheb Ambedkar Hastshilp Vikas Yojana Scheme" - saving of ₹270.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹750.00 lakhs);

(घ) "विपणन सहायता और सेवाएं स्कीम" - ₹554.00 लाख की बचत (₹750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(d) "Marketing Support and Services Scheme" - saving of ₹554.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹750.00 lakhs);

(ङ) "मानव संसाधन विकास" - ₹115.02 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(e) "Human Resource Development" - saving of ₹115.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs);

(च) "रेशम उत्पादन - उत्प्रेरणात्मक विकास कार्यक्रम" - ₹2900.00 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(f) "Sericulture – Catalytic Development Programme" - saving of ₹2900.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs);

(छ) ''बृहत् समूहों का विकास'' - ₹2275.07 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ङ) ''जनजाति क्षेत्र उपयोजना'' -

(क) ''हथकरघा बुनकर बृहत् कल्याण स्कीम'' - ₹1650.00 लाख की बचत (₹1800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) ''रेशम उत्पादन - उत्प्रेणात्मक विकास कार्यक्रम'' - ₹620.00 लाख की बचत (₹1100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(चा) ''अन्य व्यय - बृहत् समूह का विकास'' - ₹2566.11 लाख की बचत (₹5950.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त आठ शीर्षों के अंतर्गत प्रस्तावों को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने और कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव कम/विलंब से प्राप्त होने के कारण हुईं।

(V) मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''उपभोक्ता उद्योग'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:

(का) ''वस्त्र'' -

(क) ''अनुसंधान एवं विकास के लिए सहायता'' - ₹8757.18 लाख की बचत (₹17064.88 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रायबरेली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का स्थायी केंद्र की स्थापना करने के लिए निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने और कार्यान्वयन एजेंसियों से कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) ''वस्त्र श्रम पुनर्वास स्कीम'' - ₹1030.00 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वस्त्र कार्य से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(g) "Development of Mega Clusters" - saving of ₹2275.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs);

(E) "Tribal Area Sub Plan"-

(a) "Handloom Weaver Comprehensive Welfare Scheme" - saving of ₹1650.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1800.00 lakhs);

(b) "Sericulture - Catalytic Development Programme" - saving of ₹620.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1100.00 lakhs); and

(F) "Other Expenditure - Development of Mega Clusters"- saving of ₹2566.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5950.00 lakhs).

Savings under the above eight heads were due to delay in finalization of proposals and less/delayed receipt of viable proposals from the implementing agencies.

(V) Under Major Head "2852" - "Consumer Industries"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Textiles" –

(a) "Assistance for Research and Development" - saving of ₹8757.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17064.88 lakhs) was due to non- finalization of tenders for setting up of permanent centre of National Institute of Fashion Technology at Rai Bareily and less receipt of viable proposals from the implementing agencies.

(b) "Textile Labour Rehabilitation Scheme" - saving of ₹1030.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to receipt of less claims from Textile works.

(ग) ''भारतीय कपास निगम द्वारा समर्थन मूल्य के अंतर्गत कपास की अधिप्राप्ति'' -₹17849.75 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कपास उद्योग से समर्थन मूल्य पर व्यवहार्य प्रस्ताव कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(घ) ''एकीकृत वस्त्र उद्यान'' - ₹20957.16 लाख की बचत (₹28700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने और वस्त्र उद्यानों का मूलभूत ढांचा पूरा न होने के कारण हुई।

(ङ) ''सरदार बल्लभ भाई पटेल वस्त्र प्रबंधन संस्थान'' - ₹425.00 लाख की बचत (₹550.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थान से व्यवहार्य प्रस्ताव कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(च) ''सामान्य अनुपालन संहिता स्कीम'' - ₹350.00 लाख की बचत (₹700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(छ) ''मानव संसाधन विकास स्कीम'' - ₹244.24 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ज) ''पटसन सहित तकनीकी वस्त्र'' - ₹1189.29 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ञ) ''वस्त्र समिति को सहायता'' - ₹220.00 लाख की बचत (₹2100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुईं।

(खा) ''अनुसूचित जाति विशेष संघटक उपयोजना - मानव संसाधन विकास'' - ₹2335.27 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(c) "Procurement of Cotton by Cotton Corporation of India under Price Support"- saving of ₹17849.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from cotton industries on price support.

(d) "Integrated Textile Parks" - saving of ₹20957.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹28700.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from the implementing agencies and non-completion of infrastructure of Textiles parks.

(e) "Assistance to Sardar Vallabhbhai Patel Institute of Textile Management" - saving of ₹425.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹550.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from the institute.

(f) "Common Compliance Code Scheme" - saving of ₹350.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹700.00 lakhs);

(g) "Human Resource Development Scheme" - saving of ₹244.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs);

(h) "Technical Textile including Jute" - saving of ₹1189.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs); and

(i) "Assistance to Textile Committee" - saving of ₹220.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2100.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to receipt of less demand from the implementing agencies.

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes- Human Resource Development" - saving of ₹2335.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs); and

(गा) "अनुसूचित जनजाति उपयोजना - मानव संसाधन विकास" - ₹386.57 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्राप्ति में विलंब होने के वजह से प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

(VI) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक उप योजना - एकीकृत हथकरघा विकास स्कीम" - ₹920.00 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "अनुसूचित जनजाति उप योजना - एकीकृत हथकरघा विकास स्कीम" - ₹1426.17 लाख की बचत (₹1800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव कम प्राप्त होने के कारण हुईं।

(VII) पांच शीर्षों के अंतर्गत ₹362.51 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक किंतु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत से 92 प्रतिशत तक थीं।

2. उपर्युकत बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹45010.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹21005.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :-

(I) मुख्य शीर्ष "2851" -

(का) "हथकरघा उद्योग - विपणन और निर्यात संवर्धन स्कीम" - ₹2040.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹2035.37 लाख था।

(खा) "हस्तशिल्प उद्योग" -

(C) "Tribal Area Sub Plan- Human Resource Development" - saving of ₹386.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-finalisation of proposals owing to delay in receipt.

(VI) Under Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Integrated Handloom Development Scheme" - saving of ₹920.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs); and

(B) "Tribal Area Sub Plan - Integrated Handloom Development Scheme" - saving of ₹1426.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1800.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less viable proposals from the implementing agencies.

(VII) Under five heads savings of ₹362.51 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 13 percent to 92 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (₹45010.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹21005.00 lakhs under the following major heads:-

(I) Major Head "2851"-

(A) "Handloom Industries – Marketing and Export Promotion Scheme"- ₹2040.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2035.37 lakhs.

(B) "Handicrafts Industries" -

(क) "डिजाइन और तकनीकी विकास" - ₹591.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹544.65 लाख था।

(a) "Design and Technical Development" - ₹591.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹544.65 lakhs.

(ख) "बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प योजना" - ₹750.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹733.72 लाख था।

(b) "Baba Saheb Ambedkar Hastshilp Yojana" - ₹750.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹733.72 lakhs.

(ग) "विपणन सहयोग और सेवाएं" - ₹1215.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹880.84 लाख था।

(c) "Marketing Support and Services" - ₹1215.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹880.84 lakhs.

(घ) "मानव संसाधन विकास" - ₹393.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹351.03 लाख था।

(d) "Human Resource Development" - ₹393.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹351.03 lakhs.

(गा) "रेशम उत्पादन उद्योग - केंद्रीय रेशम बोर्ड" - ₹14298.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹14297.00 लाख था।

(C) "Sericulture Industries - Central Silk Board"- ₹14298.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹14297.00 lakhs.

(घा) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक उप योजना - मिल गेट मूल्य" - ₹500.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹404.51 लाख था।

(D) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Mill Gate Price" - ₹500.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹404.51 lakhs.

(ङ) "अनुसूचित जाति उप योजना - मिल गेट मूल्य स्कीम" - ₹200.00 लरख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹162.84 लाख था।

(E) "Tribal Area Sub Plan - Mill Gate Price Scheme" - ₹200.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹162.84 lakhs.

(II) मुख्य शीर्ष "2852" - "उपभोक्ता उद्योग - अनुसूचित जाति विशेष संघटक उप योजना - प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम" - ₹14606.00 लाख। अधिक व्यय, तथापि, ₹14605.00 लाख था।

(II) Major Head "2852" - "Consumer Industries - Special Component Plan for Scheduled Castes - Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS)" - ₹14606.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹14605.00 lakhs.

(III) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - ग्राम तथा लघु उद्योग - हथकरघा उद्योग - एकीकृत हथकरघा विकास स्कीम" - ₹10417.00 लाख। अधिक व्यय, तथापि, ₹10269.90 लाख था।

(III) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Village and Small Industries - Handloom Industries - Integrated Handloom Development Scheme" - ₹10417.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹10269.90 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹1681.20 लाख) अगस्त, 2011 और नवंबर, 2011 में प्राप्त की गई ₹10618.0 लाख की पूरक अनुदान का 16 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 9 प्रतिशत थीं ।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹1681.20 lakhs) constituted 16 percent of the supplementary grants of ₹10618.00 lakhs obtained in August, 2011 and November, 2011 and 9 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	150.00	..	..	..
पु.	R.	-150.00			
मुख्य शीर्ष "4851" ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4851" Capital Outlay on Village and Small Industries				
मू.	O.	2920.00	2120.00	1939.80	-180.20
पु.	R.	-800.00			
मुख्य शीर्ष "6860" उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6860" Loans for Consumer Industries				
मू.	O.	5757.00	16375.00	15824.00	-551.00
पू.	S.	10618.00			

(I) ₹150.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4552" - "ग्राम और लघु उद्योग - हस्तशिल्प उद्योग - हस्तशिल्प भवन के लिए भवन" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/ स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹150.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4552"- "Village and Small Industries- Handicrafts Industries – Building for Handicraft Bhawan" - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "6860" - "वस्त्र - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - ब्रिटिश इंडिया निगम लि." के अंतर्गत ₹1.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹10618.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त

(II) Under Major Head "6860" - "Textiles - Loans to Public Sector and Other Undertakings - "British India Corporation Limited" - the original provision of ₹1.00

करके बढ़ाकर ₹10619.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण ₹551.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष "4851" - "हथकरघा उद्योग - बुनकर सेवा केंद्र/भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए अवसंरचना" - ₹951.15 लाख की बचत (₹1910.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) डिजाइन में परिवर्तन किए जाने की वजह से भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, वाराणसी के निर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान न किए जाने और भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, बाड़गढ़ के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

lakh was augmented to ₹10619.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹10618.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹551.00 lakhs - due to non-finalisation of Voluntary Retirement Scheme.

(III) Under Major Head "4851" - "Handloom Industries – Infrastructure for Weavers Services Centre/Indian Institute of Handloom Technology" - saving of ₹951.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1910.00 lakhs) was due to non-approval of construction proposal of Indian Institute of Handloom Technology, Varanasi owing to change of design and requirement of less funds for Indian Institute of Handloom Technology, Bargarh.